

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2017/

दिनांक :


आदेश

इस निदेशालय की जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017-18 की प्रवेश विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2017/621 व 622 दिनांक 24.08.2017 के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक उक्त प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त अभ्यर्थियों की अस्थाई सूचियां एतद् द्वारा जारी की जाती है।

यदि किसी अभ्यर्थी को इस सूची से कोई आपत्ति हो तो वह अपनी परिवेदना ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट www.rajswathya.nic.in पर Online Grievance form GNM 2017-18 पर दिनांक 12.10.2017 से दिनांक 18.10.2017 को मध्यरात्रि तक अपलोड कर सकता है। ताकि उनका परीक्षण कर काउंसलिंग से पूर्व ही उन आपत्तियों पर समुचित निर्णय लिया जा सके।

जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष या उससे अधिक पुराने है, ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग में चयनोंपरान्त अपना नवीनतम ओबीसी प्रमाण पत्र अपने आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। तभी चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग का लाभ देय होगा। नवीनतम ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर इनका आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

ऐसे राजकीय सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारी जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन किया है तथा विभागीय विज्ञप्ति क्रमांक : 621 व 622 दिनांक 24.08.2017 के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 20.09.2017 तक पांच वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण नहीं की है, ऐसे अभ्यर्थियों को राजकीय सेवारत कर्मचारी का लाभ नहीं दिया गया है।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,


राज0, जयपुर

दिनांक : 11/10/17

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2017/708

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, अति0 निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
2. प्रगारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचियां सॉफ्ट कॉपी में आपको भिजवाई जा रही इन्हें विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावे।
3. जन सूचना अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आशय का प्रेस नोट राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु संबंधित को भिजवाने का श्रम करावे।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर